न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 15/2026

महेन्द्रसिंह पुत्र श्री भरतसिंह निवासी पिपलिया पंत मल्हारगढ मंदसौर

.....प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना अरांई जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री भरत कुमार अभिभाषक प्रार्थी

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन रिलीज करने बाबत

आदेश

दिनांक–30.03.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-09-GC-2861 का रजिस्टर्ड मालिक है, प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उपरोक्त वाहन को पुलिस थाना अरांई जिला अजमेर द्वारा धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत जब्त किया गया है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-09-GC-2861 को न्यायालय से सुपुर्दगीनामें पर छुड़वाना चाहता है। अतः प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उक्त वाहन संख्या RJ-09-GC-2861 को सुपुर्दगीनामें पर छुड़वाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस थाना अराई जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पश्चात् सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-09-GC-2861 का रजिस्टर्ड मालिक है, प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उपरोक्त वाहन को पुलिस थाना अरांई द्वारा धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत जब्त किया गया है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को अपने वाहन के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-09-GC-2861 को न्यायालय से सुपुर्दगीनामें पर छुड़वाना चाहता है। अतः प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उक्त वाहन संख्या RJ-09-GC-2861 को सुपुर्दगीनामें पर छोड़ने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

जिला कलक्टर
अजमेर

थानाधिकारी पुलिस थाना अराई जिला अजमेर ने अपनी टिप्पणी दिनांक 26.03.2026 में अवगत कराया कि प्रकरण संख्या 155/25 धारा 5, 6, 8, 9, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत जब्तशुदा वाहन RJ-14-GR-9163 जिसका चैचिस नम्बर MAT466623J5F17323 तथा इंजन नंम्बर 81D84472725 को जब्त किया गया जिसका रिकॉर्ड जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय भार वाहन जगतपुरा जयपुर से प्राप्त कर व प्राप्त रिकॉर्ड का मिलान भिन्न होना पाया गया जिस पर प्राप्त रिकॉर्ड को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। जब्तशुदा वाहन चैचिस नम्बर MAT466623J5F17323 तथा इंजन नम्बर 81D84472725 का रिकॉर्ड जिला परिवहन कार्यालय चित्तौड़गढ़ से प्राप्त करने पर पाया गया कि उक्त जब्तशुदा वाहन कंटेनर टाटा ट्रक के रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-09-GC-2861 तथा वास्तविक स्वामी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र भारतसिंह निवासी ग्राम पिपलिया पथ तहसील मल्हारगढ़ मन्दसोर हाल टी0पी0 नगर चन्देरिया चित्तौड़गढ़ के नाम से रजिस्ट्रेशन होना पाया गया। प्रकरण में आरोप पत्र माननीय एम.जे.एम. न्यायालय किशनगढ़ जिला अजमेर में दिनांक 05.03.2026 को पेश किया गया। प्रकरण माननीय न्यायालय किशनगढ़ में विचारधीन चल रहा हैं। प्रकरण हाजा में जब्तशुदा वाहन RJ-09-GC-2861 से अनुसंधान पूर्ण हो चुका हैं। प्रकरण हाजा में माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा प्रकरण हाजा में जब्तशुदा वाहन टाटा ट्रक RJ-09-GC-2861 को नियमानुसार जरिये सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द किया जावें तो कोई आपत्ति नहीं हैं। तथा प्रकरण हाजा में जब्तशुदा वाहन टाटा ट्रक नम्बर RJ-09-GC-2861 से अनुसंधान करना शेष नहीं होना अवगत कराया गया हैं।

हमने थानाधिकारी पुलिस थाना अराई जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया, रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मुल्जिमात के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 5, 6, 8, 9, 11 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में जप्तशुदा वाहन संख्या RJ-09-GC-2861 का पंजीकृत स्वामी प्रार्थी है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या RJ-09-GC-2861 से सम्बन्धित तफ्दीश पूर्ण हो चुकी होना थानाधिकारी अरांई जिला अजमेर ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। उक्त गौवंश एक राज्य से दूसरे राज्य में ले लाने बाबत प्रार्थी के पास सक्षम स्तर से कोई स्वीकृति आदेश नहीं था, जब्तशुदा गौवंश को, देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला में सुपुर्दगी पर छोड़ा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमात के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 व धारा 11(1)(घ), 11(1)(एफ) पशुओ के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 व पशु क्रूरता अधिनियम 1960 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के अधिनियम संख्या 23 में धारा 6–क का अन्तःस्थापन किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावें तथा ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाये गये प्रवहण का कोई भी साधन

जिला कलक्टर
अजमेर

अधिहरण के दायित्वाधीन होगा, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी को कब्जे राज लिये गये गौवंश तथा ऐसे अपराध के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के निस्तारण का अधिकार दिया गया है। किन्तु प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगीनामा पर छोड़ने हेतु निवेदन किया गया हैं। अतः जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मद्देनजर जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन संख्या RJ-09-GC-2861 का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। लिहाजा प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या RJ-09-GC-2861 पर रूपये 1,00,000/–अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति राशि आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने की शर्त पर एवं प्रार्थी से वाहन स्वामित्व सबंध दस्तावेज प्राप्त कर थानाधिकारी पुलिस थाना अरांई जिला–अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर उक्त वाहन संख्या RJ-09-GC-2861 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर,अजमेर